राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.7(79)वित्त/कर/2015/पार्ट जयपुर, दिनांकः 27/10/17

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश क्रमांकःप.7(79)वित्त/कर/2015/पार्ट जयपुर दिनांक 18.10.2017 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित पदोन्नति आदेश प्रसारित किए जाते हैंः–

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के अधीन वाणिज्यिक कर अधिकारी पद की वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक की पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.09.2017 की अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रुप से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :–

वर्ष 2010–11

क.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम
1	श्री किशन अग्रवाल		श्री निहालचन्द विश्नोई के ऊपर

साथ ही, श्री सुशील कुमार गौड़ का नाम, पद उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष 2010–11 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2011–12

क.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम	विशेष विवरण
1	श्री सुशील कुमार गौड		श्री रविन्द्र कुमार के नीचे एवं श्री रामेश्वर प्रसाद विजय के ऊपर	सेवानिवृति दिनांक 30.09.11
2	श्री विजय कुमार रावल		श्री महेन्द्र कुमार के नीचे	
3	श्री टीकमाराम चौधरी		श्री विजय कुमार रावल के नीचे एवं श्री डालसिंह नागर के ऊपर	

साथ ही, वर्ष 2011–12 में श्री किशन अग्रवाल का लिफाफा बंद किया हुआ है, चूँकि श्री अग्रवाल को वर्ष 2010–11 में ही पदोन्नत किया जा चुका है। अतः वर्ष 2011–12 के कार्यवाही से बंद लिफाफा सहित इनका नाम हटाया जाता है।

वर्ष 2012–13

क.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम
1	श्री धनराज		श्री वेदप्रकाश मित्तल के नीचे
2	श्री भारत भूषण बडेसरा		श्री धनराज चौधरी के नीचे एवं श्री दिनेश चन्द राखेचा के ऊपर
3	श्री रामेन्द्र शर्मा		श्री चन्दन सिंह शेखावत के नीचे
4	श्री कान्तिलाल		श्री रामेन्द्र शर्मा के नीचे
5	श्री सुनील मील		श्री कान्तिलाल के नीचे एवं श्री अनोप चंद रेगर के ऊपर

साथ ही, श्री विजय कुमार रावल, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं श्री टिकमाराम चौधरी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी का चयन वर्ष 2011–12 में हो जाने के कारण वर्ष 2012–13 की चयन सूची से इनके नाम विलोपित किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त श्री हेमन्त प्रभाकर, श्री गोवर्धन सिंह एवं श्री अशोक कुमार केवलिया के नाम, इनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक इनके लिए रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष 2012–13 की चयन सूची से विलोपित किए जाते हैं।

वर्ष 2013–14

श्री रामेन्द्र शर्मा, श्री कान्ति लाल एवं श्री सुनील मील का चयन पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति के फलस्वरूप वर्ष 2012–13 में हो चुका है। अतः वर्ष 2013–14 की चयन सूची से इनके नाम विलोपित किये जाते हैं।

वर्ष 2014–15

क्र.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम	विशेष विवरण
1	श्री प्रमोद मोहन सिंह		श्री प्रभुलाल मीणा के नीचे एवं श्री भंवरलाल गोदारा के ऊपर	सेवानिवृति दिनांक 28.02.17

वर्ष 2015–16

श्री प्रमोद मोहन सिंह का चयन वर्ष 2014–15 में हो जाने के कारण, वर्ष 2015–16 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

उक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेगें, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदो के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में, आवश्यकतानुसार, आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेगें।

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त(राजस्व)
17/X/XVII

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. अध्यक्ष, कर बोर्ड, अजमेर।
8. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर)